

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2360]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936

No. 2360]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

अधिसूचना

विशाखापट्टनम, 10 नवम्बर, 2014

सं. 02/2014—सीमा शुल्क (एन.टी)

का.आ. 2940(अ).—अधिसूचना संख्या 14/2002—सीमा-शुल्क (एन.टी.) दिनांक 7-3-2002, यथा संशोधित, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1952 की धारा (अ) के तहत निर्गत राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 33/94 (एन.टी.) दिनांक 1-7-1994 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं, दीपा बी. दासगुप्ता, मुख्य आयुक्त, सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, विशाखापट्टनम जोन, स्थान—नांदयाल, जिला—कूरनूल, आंध्र प्रदेश को सीमा-शुल्क अधिनियम 1952 के अनुभाग 9 के तहत एक माल भंडागारण स्थल के रूप में स्थापना करने की घोषणा करती हूँ।

[फा. सं. VIII/40/05/2014-सीसी (वी जैड)]

दीपा बी. दासगुप्ता, मुख्य आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 10th November, 2014

No. 02/2014 Customs (NT)

S.O. 2940(E).—In exercise of the powers conferred *vide* Notification No. 33/94-Customs (NT) dated 1-7-1994 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi issued under Clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, read with Notification No. 14/2002-Cus.(NT) Dated 7-3-2002, as amended. I, Deepa B. DasGupta, Chief Commissioner of Customs & Central Excise, Visakhapatnam Zone, hereby declare Nandyal, Kurnool District in the state of Andhra Pradesh, to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962.

[F. No. VIII/40/05/2014-CC (VZ)]

DEEPA B. DASGUPTA, Chief Commissioner